1087

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

855753

कोषागार
20 SEP 2010
मुजफ्फरनगर

408
2010

Transfer of Lease Deed

(By way of Assignment)

Premium	:-	Rs. 2,50,000/-
Stamp Duty	:-	Rs. 1,05,850/-

हम कि श्री **प्रभात कुमार मित्तल** पुत्र स्व0 श्री ज्योति प्रशाद मित्तल निवासी 53, राम बाग रोड, मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष व श्री **पुनीत कुमार जैन** पुत्र स्व0 श्री जितेन्द्र कुमार जैन निवासी 61, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर (सदस्य आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 मुजफ्फरनगर सदस्यता सं0 1181) द्वितीय पक्ष व **आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि0** मुजफ्फरनगर {पंजीकरण संख्या 1210} {द्वारा **तेजराज गुप्ता** पुत्र श्री बाबूराम गुप्ता निवासी 4, प्रेम विहार मुजफ्फरनगर 'सचिव' समिति} {जिसे इसके बाद विलेख में समिति या तृतीय पक्ष कहा जायेगा} तृतीय पक्ष हैं।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

855750

20 SEP 2010

मुजफ्फरनगर

प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष का तात्पर्य स्वयं उनसे तथा उनके उत्तराधिकारियों एवं ट्रान्सफरीज से हैं। तृतीय पक्ष का तात्पर्य आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 मुजफ्फरनगर के वर्तमान एवं भविष्य मे होने वाले पीठासीन होने वाले सभापति एवं सचिव अथवा समिति की ओर से लीज डीड लिखने एवं हस्ताक्षर करने के लिये प्रबन्ध कमैटी द्वारा अधिकृत पदाधिकारी सदस्य से है। आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 मुजफ्फरनगर को इस डीड में समिति के नाम से सम्बोधित किया गया हैं।

जो कि समिति उक्त ने अपने सदस्यो की आवासीय मॉग की आपूर्ति हेतु परगना व तहसील मुजफ्फरनगर ग्राम बीबीपुर के स्थित गाटा संख्या 1,2,4,8,9, 10,11,12,13,16,20,21 व 22 मि0, ग्राम कूकडा स्थित गाटा संख्या 481, 485 मि0 497 मि0, व 498 मि0 तथा ग्राम शेरनगर स्थित गाटा संख्या 15 मि0 16,17,18 मि0, को उनके भूस्वामियो से क्रय किया तथा उक्त भूमि अब पूर्णतः समिति के स्वामित्व एवं कब्जे में है, इस भूमि को कालोनी का स्वरूप देकर, इसका नाम 'सुरेन्द्रनगर' रखा गया तथा इस हेतु भूखण्डों को तलपट मानचित्र {लेआउट प्लान} बनवा कर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा स्वीकृत कराया गया।

प्रथम पक्ष ने तृतीय पक्ष से उसकी आवासीय कालोनी सुरेन्द्र नगर, मुजफ्फरनगर मे अपना आवासीय भवन निर्माण करने हेतु **प्लाट सं0 217**

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

855751

Phase-II चिर- स्थाई पट्टे पर लिया हुआ है जिसकी लीज डीड दिनांक 21-6-1999 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक प्रथम मुजफ्फरनगर में बही नं0 1 की जिल्द 1366 के पृष्ठ 363-376 पर क्रमांक 4791 पर दिनांक 21-6-1999 को पंजीकृत हुई है। लेकिन प्रथम पक्ष उक्त प्लाट पर अपना भवन निर्माण करने मे असमर्थ है और उपरोक्त प्लाट मे निहित अपने चिरस्थाई पटटे लीज के अधिकार समिति की विधि एवं नियमानुसार समिति के किसी अन्य सदस्य को हस्तान्तरित कर देना चाहता है और द्वितीय पक्ष उपरोक्त प्लाट सम्बन्धी प्रथम पक्ष के चिरस्थाई पटटे लीज के अधिकार उक्त लीज डीड मे उल्लेखित एवं समिति की प्रबन्ध कमैटी द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों समिति मुबलिग 2,50,000/- रूपये में हस्तान्तरण करने को सहमत है और तृतीय पक्ष ने समिति की विधि एवं नियमानुसार प्रथम पक्ष को उक्त प्लाट सम्बन्धी अपने चिरस्थाई पटटे के अधिकार द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित करने व द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष से उक्त प्लाट सम्बन्धी उसके चिरस्थाई पटटे के अधिकारं प्रबन्ध कमैटी के अनुमति पत्र मे उल्लेखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ लेने की अनुमति एवं हस्तान्तरण करने के पश्चात द्वितीय पक्ष को समिति का सीधा लैसी बनाने की सहमति दे दी है ।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रूपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

855752

20 SEP 2010

मुजफ्फरनगर

अतः अपने मस्तिष्क एवं इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी प्रभाव के प्रथम पक्ष ने उक्त प्लाट स्थित मौहल्ला सुरेन्द्रनगर, मुजफ्फरनगर के चिरस्थाई पटटे के लीज के अपने पूर्ण अधिकार द्वितीय पक्ष को अंकन 2,50,000/- रूपये मे निर्धारित शर्तो पर हस्तान्तरित कर दिये है और अंकन 2,50,000/- रूपये द्वितीय पक्ष से निम्नविवरणानुसार प्राप्त कर लिये है और मौके पर द्वितीय पक्ष का अपने समान आधिपत्य करा दिया है और तीनो पक्ष स्वेच्छा से मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वयं को तथा अपने अपने उत्तराधिकारियों, ट्रान्सफरीज एवं स्कसैसर्स को आबद्ध करते है:-

1. यह कि प्रथम पक्ष ने उक्त प्लाट को चिरस्थाई पटटे लीज के अपने पूर्ण अधिकार अंकन 2,50,000/- रूपये में द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित कर दिये है और कुल धन निम्न विवरणानुसार द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया है और मौके पर अपने स्थान पर द्वितीय पक्ष का आधिपत्य करा दिया है।
2. यह कि उपरोक्त हस्तान्तरण के पश्चात प्रथम पक्ष का उपरोक्त प्लाट से कोई सम्बन्ध नही रहा है और उसकी समिति की सदस्यता भी समाप्त हो गई है अब उसका या उसके उत्तराधिकारियों का उक्त प्लाट या तृतीय पक्ष पर कोई क्लेम किसी भी प्रकार का नही रहा।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Scanned with OKEN Scanner

5

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

089306

कोषागार 20 SEP 2010 मुजफ्फरनगर

3. यह कि द्वितीय पक्ष अब सीधा समिति का चिरस्थाई पटटेदार लैसी हो गया है और वह समिति के प्रति जिम्मेदार है और समिति की विधि नियम तथा प्रवन्ध कमैटी के निर्णयों व आदेशो का पालन करने के लिये स्वयं वह तथा उसके उत्तराधिकारी पूर्णतः पाबन्द हैं।
4. यह कि उक्त भूखण्ड पर द्वितीय पक्ष आधिपत्य प्राप्त होने पर समिति द्वारा प्रदत्त समय अवधि के भीतर, भवन निर्माण करेगा और यदि किसी कारणवश निर्माण न कर सके तो समिति उक्त को उन कारणो से सूचित कर समिति से लिखित रूप में, अवधि बढाने की स्वीकृति प्राप्त करेगा ऐसा न करने की दशा में समिति को अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष को उक्त भूखण्ड का प्रतिदान देकर {जिसकी धनराशि द्वितीय पक्ष द्वारा दी गई से अधिक नही होगी} चिरस्थाई पटटा रदद कर दे और अन्य जरूरतमन्द सदस्यों को चिरस्थाई पटटे पर दें।
5. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर के नियमानुसार निर्माण करेगा और भवन निर्माण करने में समिति द्वारा आबंटित भूमि भाग {हर हदूदरबों} से अधिक अन्य भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा और समिति की जल सप्लाई लाईन पर मोटर पम्प

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH N 750822

18 SEP 2010

{टुल्लू पम्प} इत्यादि नही लगायेगा व सार्वजनिक सडक व सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि नही पहुँचायेगा। पशु इत्यादि पालने की दशा में उक्त पशु को समिति द्वारा आबंटित भू भाग के हदूदरबो मे ही रखेगे किसी भी सार्वजनिक स्थान का प्रयोग पशु इत्यादि के लिये नही करेगा।

6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण मे कोई नाली, रोशनदान, खिडकी ,छज्जा आदि पार्क या अन्य किसी भूखण्ड की ओर नही निकालेगा या खोलेगा तथा किसी प्रकार की कोई गन्दगी भवन के बाहर, सडक पर पार्क पर या किसी अन्य भूखण्ड पर नही करेगा। मकान में आवागमन हेतु आवश्यक चौडाई से अधिक नाला या नाली पर अतिक्रमण नही करेगा।

7. यह कि द्वितीय पक्ष या उसके उत्तराधिकारी उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये मकान को समिति की लिखित अनुमति के बिना किसी को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नही करेगा। लिखित अनुमति के उपरान्त हस्तान्तरण या विक्रय के फलस्वरूप द्वितीय पक्ष भूखण्ड में जो शुद्ध लाभ अर्जित करेगा उसका 10 प्रतिशत समिति को अदा करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष लिखित अनुमति के बिना उक्त भूखण्ड या उस पर बने मकान को हस्तान्तरित करेगा तो यह चिरस्थाई पटटा स्वतः रदद माना जावेगा। लेकिन द्वितीय पक्ष उक्त

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 750823

18 SEP 2010

भूखण्ड या उस पर बने मकान को सरकारी संस्थान, सहकारी संस्थान, आवास विकास परिषद ,सहकारी बैंक , अनुसूचित निजी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थान इत्यादि से कोई ऋण लेने के लिये या ऋण प्राप्त करने वाले गारन्टर के रूप मे रहन रख सकता है और इसके लिये समिति की अनुमति आवश्यक नही होगी। वित्तीय संस्थानों को अपनी ऋण वसूली के लिये उक्त सम्पत्ति को बेचने की स्थिति में समिति से किसी प्रकार की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नही होगी।

8. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त प्लाट पर निर्मित भवन मे कोई ऐसा किरायेदार नही रखेगा जिससे सुरेन्द्रनगर के निवासियों को या समिति को कोई असुविधा या और हानि हो यदि वह ऐसा करेगा तो समिति को अधिकार होगा कि वह ऐसे किरायेदार से उक्त भवन खाली कराके किसी अन्य किरायेदार को किराये पर दे दे।

9. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड पर केवल आवास निर्माण करेगा और इसका उपयोग केवल आवास प्रयोजन हेतु ही करेगा। भूखण्ड मे बनाये गये भवन मे कोई औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक संस्थान स्थापित नही करेगा।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

N 750824

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10. यह कि द्वितीय पक्ष सुरेन्द्रनगर मे शान्ति, अनुशासन व व्यवस्था बनाये रखने मे प्रबन्ध कमैटी से पूर्ण सहयोग करेगा और विहार के उत्थान एवं विकास के लिये प्रबन्ध कमैटी द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन करेगा।

11. यह कि द्वितीय पक्ष भवन का निर्माण प्रबन्ध कमैटी द्वारा स्वीकृत नक्शें एवं नियमो के अनुसार तथा शासकीय अधिकारियों की अनुमति प्राप्त करके करेगा। भवन के दरवाजे खिडकी, रोशनदान {वेन्टीलेटर}, छज्जे पानी की निकासी केवल स्वीकृत सडको की ओर ही रख सकेगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष प्लाट उक्त का केवल पटटेदार माना जावेगा। उक्त प्लाट का स्वामित्व हर दशा में तृतीय पक्ष का रहेगा। द्वितीय पक्ष और तृतीय पक्ष के मध्य पटटेदार व पटटेदाता का सम्बन्ध माना जावेगा।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार 20 SEP 2010 मुजफ्फरनगर

K 446886

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अतः यह Transfer of Lease Deed *(By way of Assignment)* लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

कोषागार

12 SEP 2010

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मुजफ्फरनगर

AK 548478

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

इस लेखपत्र का निष्पादन प्रथम पक्ष की ओर से समिति के सचिव ने समिति के संचालन मण्डल की बैठक दिनांक 20.1.2007 ई0 के प्रस्ताव सं0 3/2007 के अनुपालन मे किया। सचिव की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नही होगी।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार 20 SEP 2010 मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 548479

विवरण प्राप्ती धनराशिः- प्रथम पक्ष ने कुल प्रीमियम धनराशि द्वितीय पक्ष से नकद पेश्तर प्राप्त कर लिये है। इस प्रकार अब प्रथम पक्ष की कोई धनराशि शेष नही रही है।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार 20 SEP 2018 मुजफ्फरनगर

AK 548477

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विवरण सम्पत्ति स्थित मौहल्ला **सुरेन्द्रनगर** परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगरः-

दरोबस्त प्लाट नम्बरी 217 Phase –II जिसकी पैमायश इस प्रकार हैः- उत्तरः- 9 मीटर, दक्षिणः-9 मीटर, पूर्वः- 18 मीटर, पश्चिमः- 18 मीटर, क्षेत्रफलः- 162 वर्गमीटर तथा जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैः-उत्तरः- भूमि अन्य व्यक्ति, दक्षिणः-रास्ता 9 मीटर चौडा, पूर्वः-प्लाट नं0 216, पश्चिमः- प्लाट नं0 218

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.

Scanned with OKEN Scanner

149

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार 28 SEP 2010 मुज़फ्फरनगर

V 886052

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नोटः- उक्त प्लाट ग्राम कूकडा के खसरा नम्बर 498 मि0 में स्थित है।

Secretary
Alok Co-Op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

साक्षीगणः-

1- जयकुंवर सोम
वी.पी महीपाल सिंह
ग0 327- सुरेन्द्रनगर
मु. नगर

2- Sandeep Jain
SANDEEP JAIN
S/o Lt. Adesh Kumar Jain
2, Rainbow Vihar
Meerut Road
Muzaffar Nagar

लेखतिथिः- 20-9-2010 ई0

ड्राफटकर्ताः- **संदीप अग्रवाल** एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर।

नक्शा नजरी

सम्पत्ति का प्रकार : सुरेन्द्रनगर

सम्पत्ति स्थित :

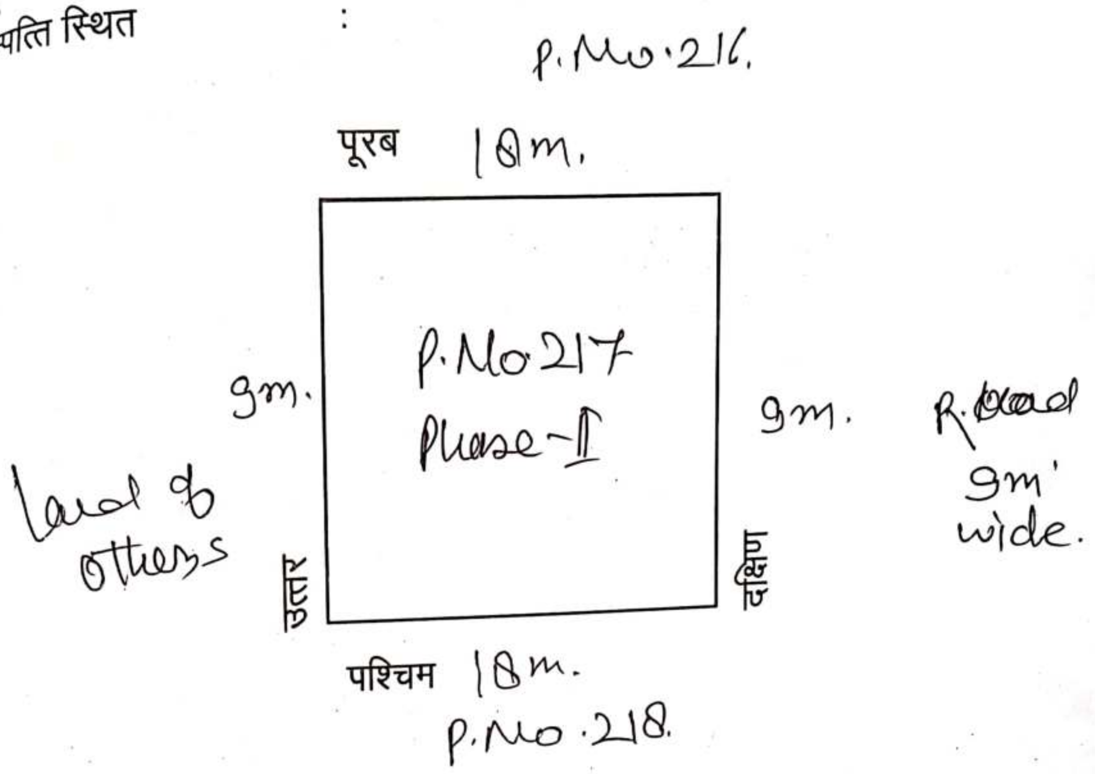

कुल क्षेत्रफल = 162 वर्गमीटर

नम्बर खसरा = 498M. (कूकड़ा)

विक्रीत सम्पत्ति के 50 मीटर त्रिज्या में आवासीय क्षेत्र है।

Secretary
Alok Co-op. Housing Society Ltd.
Muzaffarnagar

Scanned with OKEN Scanner